



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032026-270764
CG-DL-E-09032026-270764

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1148]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1148]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2026

का. आ. 1200(अ.)—यतः, मै. केरल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (पूर्व मै. किन्फ्रा फिल्म एंव विडियो पार्क), ने केरल राज्य में अयिरूपारा तथा कजाकूट्टम गांव, जिला तिरुवनंतपुरम में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र (पूर्व आईटी (एनीमेशन एंव गेमिंग) क्षेत्र) हेतु एक विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को अधिसूचित/ अनधिसूचित किया था: -

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	परिणामी क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)
(i).	का.आ.572(अ)	12.04.2007	10.121	-	10.121
(ii).	का.आ.3206(अ)	30.08.2019	-	2.023	8.098

और यतः, मै. केरल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 0.809 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, केरल सरकार ने उनके पत्र सं. जीआई/143/2024-आईएनडी दिनांक 27.01.2025 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है। अनधिसूचना के बाद, ऐसे भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा और ऐसा विमुद्रीकृत क्षेत्र संबंधित राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान की पुष्टि करेगा;

और, यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने 0.809 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा केरल राज्य में अयीरूपारा गांव, जिला तिरुवनंतपुरम में विशेष आर्थिक जोन में से 0.809 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 7.289 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	अयीरूपारा	407/1-1 ब्लॉक-12	0.809
कुल			0.809
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			7.289

[फा. सं. एफ.2/35/2005-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2026

S.O. 1200(E).—Whereas, M/s. Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation (formerly M/s. KINFRA Film and Video Park), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for IT/ITES sector (formerly IT (Animation and Gaming) sector) at Ayiroopara and Kazhakoottam Villages, Thiruvananthapuram District, in the State of Kerala;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified/de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below in the table: -

S. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in hectares)	De-Notified Area (in hectares)	Resultant Area (in hectares)
(i).	S.O. 572(E)	12.04.2007	10.121	-	10.121
(ii).	S.O. 3206(E)	30.08.2019	-	2.023	8.098

AND, WHEREAS, M/s. Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation has now proposed for de-notification of 0.809 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Kerala has given its approval to the proposal vide letter No. GI/143/2024-IND dated 27.01.2025. Further, after de-notification, the land parcels would be utilized towards creation of infrastructure, which would sub serve the objective of the SEZ as originally envisaged and such de-notified area will conform to land use guidelines/master plans of the respective State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 0.809 hectares of the above the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 0.809 hectares at Ayiroopara Village, Thiruvananthapuram District, in the State of Kerala, thereby making the resultant area as 7.289 hectares, comprising the Survey number and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area (in Hectares)
1.	Ayiroopara	407/1-1 Block-12	0.809
Total			0.809
Grand Total Area of SEZ after above deletion			7.289

[F. No. F.2/35/2005-SEZ]
VIMAL ANAND, Jt. Secy.